

Signage for Public Places



Size: 60cm X 30cm

For Complain

यदि यहां कोई धूम्रपान करता है, तो कृपया निम्न अधिकारी को शिकायत दर्ज करायें

श्री.....पद.....

.....

फोन / मोबाइल नं०

Display Board for Educational Insttt.

इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है, उल्लंघन करने वालों पर 200 / -रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

आदेशानुसार

शिक्षण संस्थान के अधिकारी का नाम:

शिक्षण संस्थान का नाम :

For Selling point of tobacco products



तम्बाकू जानलेवा है

अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है



तम्बाकू जानलेवा है

अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है